रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 2005/माघ 21, 1926
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2005/MAGHA 21, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 64(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ,- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में,--

   (क) "एक हजार रुपए प्रतिदिन" शब्दों के स्थान पर "अधिवेशन के प्रत्येक दिन 1000 रुपए" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

   (ख) उपनियम (6) में "दैनिक भत्ते की क्षतिपूर्ति करने के लिए समेकित वाहन या प्रभार या आनुषंगिक प्रभार" शब्दों के स्थान पर "समेकित वाहन और किराया प्रभार" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 9क और उसके अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 21 के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन प्रत्येक परिवाद के साथ, यथास्थिति, जिला फोरम के अध्यक्ष, राज्य आयोग के रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय आयोग के रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लिखित क्रास मांग देय ड्राफ्ट के रूप में या किसी क्रास भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी और संबंधित स्थान पर संदेय होगी जहां जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अवस्थित है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त फीस की राशि को संबंधित राज्य के उपभोक्ता कल्याण निधि में और जहां ऐसी निधि स्थापित नहीं है वहां राज्य सरकार प्राप्ति लेखा में और राष्ट्रीय आयोग की दशा में केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करेगा ।

सारणी

क्र.सं.	माल या सेवा का कुल मूल्य और दावाकृत प्रतिकर	संदेय फीस की राशि
(1)	(2)	(3)
	जिला फोरम	
1	ऐसे परिवादियों जो अंत्योदय योजना कार्ड धारण करने वाले गरीबी रेखा के नीचे के अधीन हैं के लिए --एक लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2	अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों से भिन्न परिवादियों के लिए -- एक लाख रुपए तक	100 रुपए
3	एक लाख से अधिक और पांच लाख रुपए तक	200 रुपए
4	पांच लाख से अधिक और दस लाख रुपए तक	400 रुपए

5	दस लाख से अधिक और बीस लाख रुपए तक	500 रुपए
	राज्य आयोग	
6	बीस लाख से अधिक और पचास लाख रुपए तक	2000 रुपए
7	पचास लाख से अधिक और एक करोड़ रुपए	4000 रुपए
	राष्ट्रीय आयोग	
8	एक करोड़ रुपए से अधिक	5000 रुपए

(3) ऐसे परिवादी जो गरीबी रेखा के नीचे के अधीन हैं केवल अंत्योदय योजना कार्डों की अनुप्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने पर फीस के संदाय की छूट के लिए हकदार होंगे ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 10ख में "छह" शब्द के स्थान पर "नौ" शब्द रखा जाएगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 14 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (1क) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक परिवाद चार प्रतियों में या प्रतियों की ऐसी संख्या के साथ जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपेक्षित हों, फाइल की जाएगी ।" ।

6. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (5) में "छह प्रतिलिपियाँ" के स्थान पर "चार प्रतियाँ या प्रतियों की ऐसी संख्या" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 15 क में,--

(क) उपनियम (1) में "ज्येष्ठतम सदस्य" शब्दों के पूर्व "नियम 12 के अधीन प्राधिकृत" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु किसी कारण से एक सदस्य या सदस्य कार्यवाही का संचालन उसके पूर्ण होने तक

करने में असमर्थ हैं, अधिनियम की धारा 22घ में यथा उपबंधित अध्यक्ष या ज्येष्ठतम सदस्य ऐसी कार्यवाहियों का संचालन उस प्रक्रम से जिस पर इसकी पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा अंतिम बार सुनवाई की गई थी, करेगा ।";

(ग) उपनियम (2)और उक्त उपनियम के परंतुक में "नियम 12 के अधीन प्राधिकृत" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 22घ के अधीन यथा उपबंधित" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 10(2)/2003-सी.पी.यू.]
सतवंत रेड्डी, अपर सचिव

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि 398(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए ;

1. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 14.8.1991
2. सा.का.नि.800(अ) तारीख 30.12.1993
3. सा.का.नि 522 (अ) तारीख 22.6.1994
4. सा.का.नि 605 (अ) तारीख 30.8.1995
5. सा.का.नि 759(अ) तारीख 21.11.1995
6. सा.का.नि 95(अ) तारीख 27.2.1997
7. सा.का.नि 175(अ) तारीख 5.3.2004 ; और
8. सा.का.नि 50(अ) तारीख 1.2.2005

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th February, 2005

G.S.R. 64(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely:-

1. Short title, extent and commencement .- (1) These rules may be called the Consumer Protection (Second Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Consumer Protection Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules) .-

(a) In sub-rule (6) for the letters, figures and words "Rs.1000/- per day", the letters, figures and words shall be substituted "Rs.1000/- per each day of the meeting" shall be substituted;
(b) In sub-rule (6) for the words "consolidated conveyance, hire charges and incidental charges to cover the daily allowances" the words "consolidated conveyance and hire charges" shall be substituted.

3. For rule 9A and the Table there under of the said rules, the following shall be substituted, namely :-

" (1) Every complaint filed under sub-section (1) of section 12, sub-section (1) of section 17 and clause (a) in sub-clause (i) of section 21 of the Act shall be accompanied by a fee as specified in the table given below in the form of crossed Demand Draft drawn on a nationalized bank or through a crossed Indian Postal Order in favour of the President of the of the District Forum, Registrar of the State Commission or the Registrar of the National Commission as the case may be, and payable at the respective place where the District Forum, State Commission or the National Commission is situated.

(2) The concerned authority referred to in sub-rule (1) shall credit the amount of fee received by it into the Consumer Welfare Fund of the respective State and where such Fund is not established into the Receipt Account of the State Government and in the case of the National Commission, to the Consumer Welfare Fund of the Central Government.

TABLE

Serial Number	Total value of goods or services and the compensation claimed	Amount of fee payable
(1)	(2)	(3)
	District Forum	
1.	Upto one lakh Rupees- For complainants who are under the Below Poverty Line holding Antyodaya Anna Yojana cards.	Nil
2.	Upto one lakh Rupees- For complainants other than Antyodaya Anna Yojana card holders.	Rs.100
3.	Above one lakh and upto five lakh Rupees	Rs.200
4.	Above five lakh and upto ten lakh Rupees	Rs.400
5.	Above ten lakh and upto twenty lakh Rupees	Rs.500
	State Commission	
6.	Above twenty lakh and upto fifty lakh Rupees	Rs.2000
7.	Above fifty lakh and upto one crore Rupees	Rs.4000
	National Commission	
8.	Above one crore Rupees	Rs.5000

(3) The complainant who are under the Below Poverty Line shall be entitled for the exemption of payment of fee only on production of an attested copy of the Antyodaya Anna Yojana cards.".

4. In rule 10B of the said rules, for the word "six" the word "nine" shall be substituted.

5. In rule 14, of the said rules, after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(1A) Every complaint under sub-rule (1) shall be filed in quadruplicate or with such number of copies as may be required by the National Commission.".

6. In rule 15 of the said Rules, in sub-rule (5) for the words "six copies" the words "four copies or such number of copies" shall be substituted .

7. In rule 15A of the said rules,-

(a) in sub-rule (1) after the word "senior most member", the words "authorized under rule 12" shall be omitted ;

(b) for the proviso to sub-rule (1) the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that one member or members for any reason are unable to conduct proceedings till it is completed, the President or the senior most member, as provided in section 22D of the Act, shall conduct such proceedings from the stage at which it was last heard by the previous member.";

(c) in sub-rule (2) and to the proviso to the said sub-rule, for the words and figures "authorized under rule 12", the words, figures and letter "as provided under section 22D" shall be substituted.

[F. No. 10(2)/2003-CPU]
SATWANT REDDY, Addl. Secy.

The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 398(E) dated 15th April, 1987 and subsequently amended vide;

1. GSR 533(E) dated 14.8.1991
2. GSR 800(E) dated 30.12.1993
3. GSR 522(E) dated 22.6.1994
4. GSR 605(E) dated 30.8.1995
5. GSR 759(E) dated 21.11.1995
6. GSR 95(E) dated 27.2.1997
7. GSR 175(E) dated 5.3.2004; and
8. GSR 50 (E) dated 1.2.2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.